**न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी0सी.–2 अमरोहा**
सत्र परीक्षण संख्या– 287/2017
राज्य प्रति आशू चौहान आदि
अ0सं0– 144/2017
धारा 413 व 414 भा0दं0सं0
थाना– डिडौली
जिला अमरोहा

**आरोप**

मैं, सुरेश चन्द–I,अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 द्वितीय अमरोहा, आप अभियुक्तगण आशू चौहान व जसप्रीत सिंह को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करताहूॅः–

प्रथम– यह कि दिनांक 08.05.2017 समय 17:30 बजे स्थान सम्भल चौराहा जोया पर पुलिस पार्टी द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर चैकिंग के दौरान आप दोनों अभियुक्तगण को रोका गया तो आपके पास से एक EECO गाड़ी, जिसका चैसिस नम्बर MAZERLF1500468329 तथा इंजन नम्बर GIZBN445406 था, बरामद हुई। यह गाड़ी चोरी की थी और आप यह जानते हैं कि यह सम्पत्ति चोरी की है। आपने यह भी बताया कि आप अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर गाड़ियॉ चोरी करते हैं। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा0दं0सं0 की धार 414 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपसे जो चोरी की गाड़ी बरामद हुई है, वह चोरी की थीं और आप चुराई हुई सम्पत्ति का अभ्यासित व्यापार करते हैं। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा0दं0सं0 की धारा 413 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद द्वारा मैं आपको निर्देश देता हूॅ कि उक्त आरोप में इस न्यायालय द्वारा आपका विचारण किया जायेगा।

एस0डी0/–
दिनांकः 01.01.2018
सुरेश चन्द– I
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. 2
अमरोहा

उक्त आरोप मेरे द्वारा अभियुक्तगण को पढकर सुनाये गये, जिससे उन्होंने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

एस0डी0/–
दिनांकः 01.01.2018
सुरेश चन्द– I
सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. 2
अमरोहा

**न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी0सी.–2 अमरोहा**
सत्र परीक्षण संख्या– 289/2017
राज्य प्रति आशू चौहान आदि

## आदेश

**दिनांक 01.01.2018–** पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण आशू चौहान व जसप्रीत सिंह अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में हाजिर आये। मैंने आरोप के निर्धारण के प्रश्न पर अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी केस डायरी, प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र तथा अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

केस डायरी के अवलोकन से अभियुक्तगण आशू चौहान व जसप्रीत सिंह के विरूद्ध धारा 413 व 414 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप निर्धारण किये जाने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 413 व 414 का आरोप निर्धारित किया जाता है।

एस0डी0/–

सुरेश चन्द–I
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.–2,
अमरोहा